भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4773 उत्तर देने की तारीख: 23.03.2020

छात्र शिक्षक अनुपात

4773. श्री संजय जाधव :

श्री प्रतापराव जाधव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) प्राथमिक और मिडिल विद्यालयों की संख्या जहां बच्चों का अनुपात कम है और शिक्षक अधिक है और इसके विपरीत भी है;
- (ख) क्या सरकार ने स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों का कोई अनुपात तय किया है;
- (ग) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह अनुपात उपयुक्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के अंतराल के क्या कारण है;
- (ङ) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय करती है या इस तरह की किमयों को खोजने में हस्तक्षेप करती है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने शिक्षक-छात्र अनुपात के अंतर को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

- (क): यूडाइज 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार 72.80% सरकारी प्राथमिक विद्यालय और 68.29% सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में दिए गए छात्र-शिक्षक अनुपात के प्रावधानों के मानकों का पालन करते हैं।
- (ख) से (ङ): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल दोनों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निर्धारित किया गया है, जो क्रमश: 30:1 और 35:1 है। इसी तरह माध्यमिक स्तर पर पीटीआर 30:1 होना चाहिए। यूडाइज 2016-17 (अनंतिम) के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्कूलों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात 23:1, उच्च प्राथमिक स्तर पर 25:1 और माध्यमिक स्तर पर 26:1 है, जो निर्धारित मानकों से बेहतर है।

शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, छात्रों की बढ़ती संख्या और नए स्कूलों की स्थापना के कारण रिक्तियों की संख्या बढ़ती रहती है।

केन्द्र सरकार ने 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की पूर्व केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, विभिन्न पहलों जैसे सर्वसुलभ पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता, जेंडर, समानता, शिक्षकों के वेतन हेतु सहायता आदि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा स्कूलिंग के विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार उचित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विभिन्न मंचों पर शिक्षकों की शीघ्र भर्ती और पुन: तैनाती से संबंधित मामले की निरंतर निगरानी की जाती है।
